

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ.ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵੰ ਲੇਖਾ ਪਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ" ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,
21, ਰਾਜੇਨ੍ਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110008
H.O. Account & Audit Department
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

ਸੰਦਰਬ/Ref. No.

ਦਿਨਾਂਕ/Dated:

March 09, 2022

To,

BSE Limited, Department of Corporate Services, 25 th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. SCRIP ID : PSB SCRIP CODE : 533295	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. SYMBOL: PSB SERIES: EQ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Sir,

Reg: Update: Extraordinary General Meeting on 31st March 2022

Further to our letter dated 02.03.2022, we are forwarding a copy of Notice of an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, the 31st day of March, 2022 at 11.00 a.m.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,


Saket Mehrotra
Company Secretary





पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विशेष कारोबार को संपादित करने के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक (“दि बैंक”) के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **गुरुवार, 31 मार्च, 2022** को प्रातः 11.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। (बैठक का मानित स्थान, बैंक का प्रधान कार्यालय होगा)

मद संख्या 1 : अधिमानी आधार पर भारत सरकार (प्रवर्तक) को इक्विटी शेयर जारी करना।

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प (ओं) पर विचार करना तथा उचित समझे जाने पर उसे पारित करना:

“**संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि हो, के अधीन तथा ऐसे निबंधन, शर्तों व तत्संबंधी संशोधनों जो इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिनके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जा सकती है, के अधीन तथा सेबी (पूँजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 [सेबी (आईसीडीआर) विनियमन], भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 2011, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम और शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन करार, बैंक के शेयरधारकों की सहमति के अधीन एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद ‘निदेशक मंडल’ कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई ऐसी समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसक पश्चात गठित की गई हो) सहमति प्रदान की जाती है कि वे भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति को) अधिमानी आधार पर कुल ₹ 4600 करोड़ तक, सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 165 के अनुसार श्री यशलोक दुबे, पंजीकृत मूल्यांकक (पंजीकृत मूल्यांकक संख्या IBBI/RV/03/2019/11087) द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांकित 02.03.2022 के आधार पर निर्धारित ₹ 6.88 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित ₹ 16.88 प्रति इक्विटी शेयर पर नगद हेतु ₹ 10/- प्रत्येक (रुपये दस मात्र) के 2725118483 तक के इक्विटी शेयर (ओं) का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम व आबंटन करें।”**

“आगे संकल्प किया जाता है कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 161 के अंतर्गत प्रासंगिक तिथि 28.02.2022 है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास प्राधिकार तथा अधिकार होगा कि संकल्प में निर्गम, आबंटन तथा उसके सूचीयन और जैसा बोर्ड द्वारा सहमति दी गई हो, को उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति देने/ प्रदान करते समय आवश्यकतानुसार या भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड/ शेयर बाज़ार जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, या इस प्रकार के अन्य समुचित प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित किसी संशोधन को स्वीकार करें।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर्स, सभी मामलों में बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से समान स्तर के होंगे तथा इस प्रकार की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश यदि हो, के पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है कि ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और विषय को संपादित करे जो उसके विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और अपेक्षित हो तथा जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और आगे ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामले तथा विषय को संपादित करें, आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकने वाले सभी दस्तावेज़ों और विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित या वांछनीय हो सकता है और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी या यह समझा जाएगा कि अंतिम रूप देने के प्रयोजन तथा आशय से शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी सहमति दी है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड उसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशक या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी (यों) जिन्हें वह उचित समझें, उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए प्रत्यायोजित कर सकता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 09 मार्च, 2022

(एस. कृष्णन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणियां :

1. विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है तथा सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। एमसीए (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08.04.2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13.04.2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांकित 15.06.2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28.09.2020 तथा परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित 31.12.2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12.05.2020 तथा एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15.01.2021 के अनुसरण में जून 30, 2021 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम के आयोजन की अनुमति है। इसे, एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांकित 23.06.2021 के माध्यम से 31 दिसंबर, 2021 तक विस्तारित किया गया था तथा एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांकित 08.12.2021 के माध्यम से जून 30, 2022 तक आगे विस्तारित किया गया है।

उक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक के असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम किया जा रहा है। ईजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैंक) विनियम, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। चूंकि ईजीएम, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इस नोटिस में रूट मैप संलग्न नहीं है जैसा कि सचिवीय मानक 2 के तहत अपेक्षित है।

कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, ईजीएम सूचना की प्रतियां भौतिक रूप में नहीं भेजी जाएंगी और इसे केवल उन शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा, जिन्होंने अपने ईमेल आईडी बैंक या डिपॉजिटरी सहभागियों के पास पंजीकृत किए हैं। ईजीएम नोटिस, बैंक की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों पर भी डाला जाएगा। भौतिक शेयरों के मामले में शेयरधारक, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं या डीमेट रूप में शेयरों के मामले में मेल आईडी को अपडेट करने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं।

2. मताधिकार

बैंक ने उक्त कार्यसूची मद के लिए शेयरधारकों के मताधिकार निर्धारित करने के लिए गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को निर्दिष्ट तारीख/कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2 ई) की शर्तों के अनुसार, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने पास धारित बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में, समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

आगे, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

3. **परोक्षी की नियुक्ति:** बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक, अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होंगे/ होंगी तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसार, शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए सुविधा इस ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/ या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/ इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति बैठक की तिथि से 4 दिन पूर्व अर्थात् 26 मार्च, 2022 को अपराह्न 05:00 बजे या इससे पूर्व प्रधान कार्यालय, 21- राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 में जमा नहीं की जाती या संवीक्षक को 'scrutinizer@snaco.net' पर मेल द्वारा नहीं भेजा जाता जिसकी प्रतिलिपि 'complianceofficer@psb.co.in' को भेजी जानी है।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. बैठक की सूचना, बैंक वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> (निवेशक सूचना पृष्ठ), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है। सीडीएसएल (ई-मतदान एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी ईजीएम नोटिस प्रसारित है।

6. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक की मद्दों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को समायोजित करता हुआ व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और यह नोटिस का भाग है।

7. शेयर अंतरण एजेंट से संचार:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/ अद्यतन (यदि है) की सूचना, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक

साविली मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

फोन: +91 11 4141 0592, 93, 94, फैक्स: +91 11 4141 0591

ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/ अद्यतन (यदि है) की सूचना अपने निक्षेपागार सहभागियों को दें।

8. इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान

- i. एमसीए परिपत्रों के साथ पठित यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-मतदान तथा ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में मदों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है।
- ii. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना ईजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

iii. दूरस्थ ई-मतदान हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :-

- A. **शनिवार, 26 मार्च, 2022** (प्रातः 10.00 बजे) से दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा **बुधवार, 30 मार्च, 2022** (अपराह्न 05.00 बजे) समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि **गुरुवार, 24 मार्च, 2022** को शेयर मूर्त अथवा अमूर्त रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं।
- B. शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व ही मतदान कर दिया है, बैठक स्थान पर मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
- C. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020 के अनुसरण में, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि यह पाया गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की सहभागिता नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाले अनेक ई-मतदान सेवा प्रदाता (ईएसपीएस) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपीएस पर पंजीकरण और अनेक यूजर आईडी और पासवर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी डीमेट खाताधारकों को उनके डीमेट खातों/ निक्षेपागारों की वेबसाइट/ निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से, एकल लॉग-इन क्रेडेंशियल द्वारा ई-मतदान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाताधारक, ईएसपी के साथ पुनः पंजीकरण बिना अपना मतदान करने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

- D. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मतदान पर सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में, डीमेट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागारों और निक्षेपागार सहभागियों के साथ अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से मतदान की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमेट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतित करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, डीमेट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-मतदान और आभासी बैठक में भाग लेने के लिए लॉग-इन विधि नीचे दी गई है :

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन विधि
सीडीएसएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल ईज़ी/ ईज़ीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ ईज़ीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login हैं या www.cdslindia.com का अवलोकन करें और लॉग-इन आइकन पर क्लिक करें तथा न्यू सिस्टम माइ- ईज़ी का चयन करें।</p> <p>2) सफल लॉगिन के बाद, ईज़ी/ ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता, कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे, जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है। ई-मतदान विकल्प में क्लिक करने पर उपयोगकर्ता, दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या</p>

	<p>आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-मतदान सेवा प्रदाताओं अर्थात् सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिनकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट का अवलोकन कर सकें।</p> <p>3) यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है।</p> <p>4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-मतदान लिंक से डीमेट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-मतदान पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम, डीमेट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, उपयोगकर्ता उस ई-मतदान विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां मतदान प्रगति पर है और सभी ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होगा।</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>एनएसडीएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक</p>	<p>1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का मुख पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-मतदान पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2) यदि उपयोगकर्ता, आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का मुख पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/ सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमेट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>
<p>अपने निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से लॉग-इन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमेट मोड में प्रतिभूति धारक)</p>	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमेट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-मतदान का विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का प्रयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमेट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cDSLindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022- 23058738 और 022-23058542-43 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

एनएसडीएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. ई-मतदान के लिए लॉग-इन विधि तथा डीमेट फॉर्म व भौतिक शेयरधारकों में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए आभासी बैठक में शामिल होना :

- i. शेयरधारकों को ई-वोटिंग साइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
- ii. “शेयरधारक” मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- iii. अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
 - a. सीडीएसएल हेतु – 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - b. एनएसडीएल हेतु – 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
 - c. भौतिक रूप में शेयरधारक, बैंक में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
- iv. दर्शाई गई ईमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- v. यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- vi. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना पैन, कंपनी/ डिपाजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।

<p>लाभांश बैंक विवरण या जन्म- तिथि (डीओबी)</p>	<p>लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियों संख्या प्रविष्ट करें जैसा कि (v) में उल्लिखित है।
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- vii. इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात “सबमिट” टेब पर क्लिक करें।
- viii. सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, सदस्य जिनके पास डिमेट रूप में शेयर हैं “पासवर्ड क्रिएशन विकल्प” में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉग-इन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डिमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-मतदान करवाती हो, किया जा सकता है। बलपूर्वक यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- ix. सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, इस सूचना में निहित संकल्प पर केवल ई-मतदान के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- x. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के “ईवीएसएन” पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- xi. वोटिंग पृष्ठ पर आप “रिजोल्यूशन विवरण” के समक्ष हाँ/ नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। इच्छानुसार “हाँ” अथवा “नहीं” विकल्प का चुनाव करें। “हाँ” का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा “नहीं” का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
- xii. यदि आप सभी संकल्प विवरणों को देखना चाहते हैं तो “रिजोल्यूशन फाइल लिंक” पर क्लिक करें।
- xiii. वोट करने के संकल्प को चुनने के पश्चात “सबमिट” पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स दिखेगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओके” पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो “कैंसल” पर क्लिक करें व तदनुसार अपना मतदान संशोधित करें।
- xiv. संकल्प पर एक बार मतदान की “पुष्टि” के पश्चात मतदान को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- xv. मतदान पृष्ठ पर “प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

- xvi. यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेल सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें व प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- xvii. **गैर-वैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों के लिए सुविधा – दूरस्थ मतदान**
- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात व्यैक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और “कॉरपोरेट” मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
 - पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति जिस पर इकाई की मुहर तथा हस्ताक्षर लगी हो, को helpdesk.evoting@cDSLindia.com पर मेल की जानी चाहिए।
 - लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडमिन लॉगइन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर, खाता (ओं) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
 - लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cDSLindia.com पर मेल की जानी चाहिए तथा खातों के अनुमोदन पर वे अपना मतदान करने में सक्षम होंगे।
 - बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि हो), तो संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना चाहिए।
 - वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पते अर्थात complianceofficer@psb.co.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और जांच के लिए उसे संवीक्षक को सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग ले रहे शेयरधारकों तथा बैठक के दौरान ई-मतदान के लिए निर्देश इस प्रकार है:

1. ईजीएम के दिन बैठक में भाग लेने तथा ई-वोटिंग की प्रक्रिया, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ ओएवीएम के लिए लिंक, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद बैंक के ईवीएसएन प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होगा।
3. दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक ईजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. बैठक के दौरान किसी भी विक्षोभ से बचने के लिए शेयरधारकों को कैमरे की अनुमति देने तथा अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/ विडियो घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, **बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकृत कर सकते हैं। वे शेयरधारक जो ईजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रश्न है **बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न अग्रिम में complianceofficer@psb.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ई-मेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।

यदि ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा मतदान किया जाता है और यदि उन शेयरधारकों ने वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों हेतु ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन क्रेडेंसियल प्राप्त करने की प्रक्रिया :

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए – complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in. को ईमेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति (अग्र और पश्च), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।

2. **डीमेट शेयरधारकों के लिए** – कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
3. **व्यैक्तिक डीमेट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपडेट करें जो ई-वोटिंग के दौरान अनिवार्य है और डिपॉजिटरी के माध्यम से आभासी बैठक में शामिल हों।

यदि आपको ई-मतदान प्रणाली से ईजीएम में भाग लेने व ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या 022- 23058738, 022-23058543 तथा 022-23058542) पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

9. संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ईजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा शेयर बाजारो व बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक की रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

10. शेयर कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित व कुशल सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में शेयर कक्ष की स्थापना की है, किसी भी सहायता के लिए शेयरधारक नीचे उल्लिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, शेयर कक्ष, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, दूरभाष : 011-25782926, 25812922, ई-मेल : complianceofficer@psb.co.in

11. अन्य जानकारी :

- a. ईजीएम आयोजन की सूचना बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> पर अपलोड किया गया है। शेयर बाजारों यथा बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी यह सूचना प्राप्त की जा सकती है। सीडीएसएल (ईजीएम के दौरान दूरस्थ ई-मतदान सुविधा तथा ई-मतदान प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी ईजीएम नोटिस को प्रसारित किया गया है।
- b. बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डिमेट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में धारित शेयर होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए का ईमेल आईडी: delhi@linkintime.co.in) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। इसके अतिरिक्त नाम, डाक-पता, ईमेल पता, दूरभाष/ मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अनुदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे – बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कूट इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारक उसकी सूचना अपने डीपीएस को दें तथा भौतिक रूप में शेयरधारक आरटीए को सूचित करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(एस. कृष्णन)
एमडी एवं सीईओ

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 09 मार्च 2022

व्याख्यात्मक विवरणी तथा प्रकटीकरण

कार्यसूची मद संख्या 1 : अधिमानी आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी करना।

सेबी (आईसीडीआर) विनियमन की शर्तों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण :

- a) सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों (पीएसबीएस) की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार (जीओआई) ने बैंक को ₹46,00,00,00,000 की पूंजी देने का निर्णय लिया है। अधिमानी आबंटन आधार पर भारत सरकार के पक्ष में सामान्य शेयरों के सृजन, निर्गम तथा आबंटन द्वारा पूंजी अभिवृद्धि की जाएगी।
- b) इसलिए, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुरूप भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम माध्यम से कुल ₹46,00,00,00,000 मात्र तक, सेबी आईसीआरडी विनियमन, 2018 के विनियम 166 ए के साथ पठित विनियमन 165 के अनुसरण में निर्धारित ₹ 6.88 प्रति शेयर के प्रिमियम पर नगदी हेतु पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10/- के 2725118483 सामान्य शेयरों के निर्गम के लिए हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन चाहा गया है।
- c) संपूर्ण अधिमानी निर्गम भारत सरकार-बैंक के प्रवर्तक द्वारा अभिदत्त किया जाएगा।
यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर विनियमन) के अनुसार अधिमानी निर्गम के लिए प्रासंगिक तिथि 28.02.2022 (क्योंकि दिनांक 01.03.2022 को स्टॉक बाज़ार बंद था) होगी जोकि असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिन पूर्व होगी।
- d) भारत सरकार को अधिमानी निर्गम पश्चात तथा पूर्व बैंक की शेयरधारिता प्रतिरूप इस प्रकार है:

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम पश्चात	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
A	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	3933932610	97.07	6659051093	98.25
B	गैर-प्रवर्तक धारिता	118735354	2.93	118735354	1.75
	कुल	4052667964	100.00	6777786447	100

- e) विशेष संकल्प के अनुसार आबंटन, ऐसे संकल्प के पारित होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, बशर्ते जहाँ सेबी (एसएएसटी) विनियमन, 2011 की प्रयोज्यता से छूट के लिए कोई आवेदन या आबंटन के लिए किसी भी नियामक प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा कोई अनुमोदन या अनुमति लंबित नहीं है, 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की गणना इस तरह के आवेदन पर आदेश की तारीख या अनुमोदन या अनुमति की तारीख, जैसा भी मामला हो, से की जाएगी।

- f) भारत के राष्ट्रपति को 2725118483 इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के इक्विटी शेयरों की शेयरधारिता बढ़कर 6659051093 (98.25%) हो जाएगी और नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- g) प्रस्तावित आबंटिती अर्थात् भारत सरकार (प्रवर्तक) को निर्गम पूर्व तथा निर्गम पश्चात शेयरधारिता निम्नानुसार होगी :

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम-पूर्व	3933932610	97.07
निर्गम-पश्चात	6659051093	98.25

- h) बैंक वचन देता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार जहाँ ऐसा करना अपेक्षित हो, इक्विटी शेयर के मूल्य की पुनर्गणना करेगा।
- i) बैंक वचन देता है कि मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का इन विनियमनों में निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो आबंटिती द्वारा रकम का भुगतान नहीं किए जाने तक निर्दिष्ट प्रतिभूति की अवरुद्ध अवधि जारी रहेगी।
- j) भारत सरकार की इक्विटी शेयरधारिता, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के खंड 167 (1) के अनुसार लॉक-इन के अधीन होगी। भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर आबंटन के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर, उसके व्यापारिक अनुमोदन स्वीकृति तिथि से 18 माह की अवधि के लिए लॉक-इन अवधि में रहेगा, तथापि बैंक की कुल पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक, व्यापारिक अनुमोदन की तिथि से 18 माह की अवधि के लिए लॉक नहीं रहेगा। बीस प्रतिशत से अधिक आबंटित इक्विटी शेयरों को ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से छह महीने के लिए लॉक-इन किया जाएगा। भारत सरकार की समस्त अधिमान्य-पूर्व आबंटित शेयरधारिता 'प्रासंगिक तिथि' व्यापारिक अनुमोदन तिथि से 90 व्यापारिक दिनों की अवधि तक अवरुद्ध रहेगी।
- k) मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज ने प्रमाणित किया है कि शेयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अनुसार किया जा रहा है। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति वेब-लिंक https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/7803_2022030818420786942.pdf पर उपलब्ध है। उक्त प्रमाण-पत्र, बैठक में सदस्यों के समक्ष भी रखा जाएगा।
- l) भारत सरकार द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में है तथा बैंक, सेबी (एलओडीआर) विनियमन में विनिर्दिष्ट अनुसार इक्विटी शेयरों के सतत् सूचीयन की शर्तों का अनुपालन कर रहा है।
- m) भारत सरकार ने प्रासंगिक तिथि से 90 कारोबारी दिवसों के दौरान बैंक का कोई भी इक्विटी शेयर विक्रय नहीं किया है।

- n) सेबी एलओडीआर विनियमन, 2015 का खंड 41 (4), अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध करता है कि सूचीबद्ध संस्थाएं सभी शेयरों (जब्त किए गए शेयरों सहित), प्रतिभूतियों, अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों को प्रथम दृष्टांत में यथानुपात आधार पर अभिदान करने के लिए सूचीबद्ध संस्था के इक्विटी शेयरधारकों को जारी या प्रस्तावित करेगी जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय न लें। चूंकि पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आबंटित करने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है जो बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को यथानुपात के अतिरिक्त है, उक्त संकल्प को पारित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह सेबी-आईसीडीआर विनियमन 2018 के विनियम 160 के अंतर्गत भी अपेक्षित है।
- o) कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति, इक्विटी शेयर अभिदत्त नहीं करेगा।
- p) बैंक का कोई भी निदेशक/ बैंक का मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति/ उनके संबंधी, इस नोटिस के संकल्प (ओं) में उसी सीमा तक संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक बैंक में उनकी शेयरधारिता है।
- q) आपके निदेशक, नोटिस में उल्लिखित अनुसार संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं।
- r) विनियम 163(i) में निर्दिष्ट अनुसार आईसीडीआर विनियमनों की अनुसूची VI में निर्दिष्ट प्रकटीकरण लागू नहीं हैं क्योंकि बैंक या उसका प्रवर्तक या उसका कोई भी निदेशक इरादतन चूककर्ता नहीं है।
- s) सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के विनियम 166-ए (1) के तीसरे प्रावधान के अनुसार, श्री यशलोक दुबे, स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकक (पंजीकृत मूल्यांकक संख्या IBBI/RV/03/2019/11087) की मूल्यांकन रिपोर्ट लिंक https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/7803_2022030818432440818.pdf पर क्लिक करके देखी जा सकती है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(एस. कृष्णन)
एमडी एवं सीईओ

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 09 मार्च, 2022



Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank (“the Bank”) will be held on **Thursday, the 31st day of March, 2022** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) at 11.00 a.m. to transact the following **Special Business**: (the deemed venue of the meeting will be the Head Office of the Bank).

Agenda Item No. 1: Issue of Equity Shares to Government of India (Promoters) on Preferential Basis.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolutions as a Special Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [SEBI (ICDR) Regulations], Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and regulations as may be prescribed by RBI and other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto **2,72,51,18,483 equity shares** of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at **Rs.16.88 per equity share** including premium of **Rs.6.88** per equity share as determined on the basis of the valuation report dated 02.03.2022 provided by **Sh Yashlok Dubey, Independent Registered Valuer** (Registered Valuer No.IBBI/RV/03/2019/11087) in accordance with Regulation 165 of SEBI ICDR Regulations aggregating upto **Rs.4600 crore** on preferential basis to Government of India (President of India).”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the **Relevant Date** under Regulation 161 under SEBI (ICDR) Regulations is **28.02.2022**”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to

have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 09 March, 2022

(S Krishnan)
MD & CEO

NOTES:

1. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, there is restriction on the movement and the need to observe social distancing norms. Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 read with MCA (Ministry of Corporate Affairs) Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No 33/2020 dated September 28, 2020 and Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, permitted holding of EGM through VC/OAVM up to June 30, 2021. This was extended to December 31, 2021 vide MCA General Circular No 10/2021 dated June 23, 2021 and further extended to June 30, 2022 vide MCA General Circular No 20/2021 dated December 08, 2021.

In compliance with the above provisions, Extraordinary General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC). The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank. Shareholders attending the EGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the EGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

Considering COVID-19 pandemic and lockdown restriction, copies of the Notice of EGM in physical form shall not be dispatched and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email Id's with the Bank or with the Depository Participant. The notice of EGM will also be hosted on the website of the Bank and the stock exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or depository participant in case of shares in demat form, for updation of mail id.

2. VOTING RIGHTS

The Bank has fixed **Thursday, March 24, 2022** as the cut-off date for determining the voting rights of shareholders for the said agenda item.

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Further, as per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. **APPOINTMENT OF PROXIES:** A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the EGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this EGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

4. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):**

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 or has been sent by email to the scrutinizer at 'scrutinizer@snaco.net' with copy marked to 'complianceofficer@psb.co.in' not later than four days before the date of meeting i.e. **on or before 5.00 p.m. on 26th March 2022.**

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

5. The notice of the meeting is available for downloading from the website of the Bank viz. <https://punjabandsindbank.co.in/> (Investor Info Page'), on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The EGM notice is also disseminated on the website of CDSL (e-voting agency) i.e. www.evotingindia.com.

6. **EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and forms part of notice.

7. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,

Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591

Email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

8. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS**

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL).

II. The Members can join the EGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

III. The instructions for remote e-voting are as under:

A. The remote e-voting period begins on **Saturday, 26th March, 2022 (10:00 a.m.)** and ends on **Wednesday, 30th March, 2022 (5:00 p.m.)**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cutoff date of **Thursday, March 24, 2022**, may cast their vote electronically.

B. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.

- C. Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020**, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

- D. In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	<ol style="list-style-type: none"> 1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	<p>1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS “Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

E. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding in Demat form & physical shareholders.

- i. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- ii. Click on “Shareholders” module.
- iii. Now enter your User ID

- a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- iv. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- v. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- vi. If you are a first time user follow the steps given below:

For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

- vii. After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- viii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- ix. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- x. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- xi. On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option “YES” or “NO” as desired. The option “YES” implies that you assent to the Resolution and option “NO” implies that you dissent to the Resolution.
- xii. Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- xiii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xiv. Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xv. You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- xvi. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xvii. **Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –Remote Voting**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the EGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast **48 hours prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **48 hours prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. These queries will be replied to by the company suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.

If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders – Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in.
2. For Demat shareholders – Please update your mail id and mobile number with your respective depository participant.
3. For Individual Demat Shareholder – Please update your email id and mobile number with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-voting and join virtual meetings through Depository.

If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738, 022-23058543 and 022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

9. SCRUTINIZER

M/s S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries have been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the EGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

10. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008, Telephone: 011-25782926, 25812922, E-mail: complianceofficer@psb.co.in

11. OTHER INFORMATION

- a. The Notice calling the EGM has been uploaded on the website of the Bank at <https://punjabandsindbank.co.in/>. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The EGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the EGM) i.e. www.evotingindia.com.
- b. In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@linkintime.co.in). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 09 March, 2022

(S Krishnan)
MD & CEO

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURES:

Agenda Item No. 1: Issue of Equity Shares on Preferential Basis to Government of India

Disclosures as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations are as follows:

- a) With the object to strengthen the capital adequacy of the Public Sector Banks (PSBs), the Government of India (GOI) has decided to infuse capital to the extent of Rs.46,00,00,00,000 to the Bank. The capital infusion will be by way of creation, issue and allotment of equity shares in favour of Government of India on preferential allotment basis.
- b) Shareholder approval is, therefore, sought for the issue of **2,72,51,18,483** equity shares of Rs.10 each fully paid for cash at premium of Rs.6.88 per share determined in accordance with Regulation 165 read with Regulation 166A of SEBI ICDR Regulations, 2018 upto the amount of Rs.46,00,00,00,000 only, through preferential issue of equity shares in the favour of GOI, as per SEBI (ICDR) Regulations.
- c) The entire preferential issue will be subscribed by the GOI – the promoter of the Bank. The relevant date for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations) as amended from time to time shall be **28.02.2022** (as 01.03.2022 was a stock exchange holiday) being the date 30 days prior to the date of Extraordinary General Meeting.
- d) The share holding pattern of the Bank before and after Preferential issue of shares to the Government of India will be as under :

S No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares held	Percentage of shareholding	No. of Shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (GOI)	3933932610	97.07	6659051093	98.25
B	Non- Promoter Holding	118735354	2.93	118735354	1.75
	Total	4052667964	100.00	6777786447	100.00

- e) The Allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of the such resolution provided that where any application for exemption from the applicability of SEBI (SAST) Regulations, 2011 or any approval or permission by any Regulatory Authority or the Central Government for allotment is pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.
- f) Consequent to the preferential allotment of **2,72,51,18,483** Equity Shares to the President of India (Government of India), the equity shares holding of the Government of India will stand increased to **6,65,90,51,093** (98.25%) and there will be no change in control.
- g) The Pre and Post issue shareholding of the proposed allottee viz. Government of India (promoter) would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	3933932610	97.07
Post – issue	6659051093	98.25

- h) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- i) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.
- j) The Equity Shares holding of the Government of India shall be subject to Lock-in in terms of Regulation 167(1) of SEBI ICDR Regulations, 2018. Equity shares proposed to be allotted on preferential basis to the Government of India shall be locked-in for a period of 18 months from the date of trading approval granted for the equity shares, however, not more than 20% of total capital of the Bank shall be locked in for a period of 18 months from the date of trading approval. The Equity Shares allotted in excess of twenty percent shall be locked in for 6 months from the date of trading approval. The entire pre-preferential allotment shareholding of the Government of India shall be locked-in from the 'Relevant Date' up to a period of 90 trading days from the date of trading approval.

k) M/s S N ANATHASUBRAMANIAN & Co, Practicing Company Secretaries, have certified that the issue of shares is being made in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. A copy of the said certificate is available at the following web-link: https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/7803_2022030818420786942.pdf. The said certificate shall also be placed before the members at the meeting.

l) All the Equity Shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the SEBI (LODR) Regulations.

m) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the 90 trading days preceding the relevant date.

n) Clause 41(4) of SEBI LODR Regulations, 2015, provide inter-alia that the listed entity shall, issue or offer in the first instance all shares (including forfeited shares), securities, rights, privileges and benefits to subscribe pro rata basis, to the equity shareholders of the listed entity, unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. As it is proposed to allot fully paid-up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 160 of the SEBI-ICDR Regulations 2018.

o) None of the Directors or Key Management persons will subscribe to the Equity Shares.

p) None of the Directors / Key Managerial personal of the Bank / their relatives are interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

q) Your directors recommend passing of the resolutions as mentioned in the Notice.

r) Disclosures as specified in Schedule VI to the ICDR Regulations as specified in Regulation 163(i) are not applicable as the Bank or its Promoter or any of its directors is a not a willful defaulter.

s) In terms of third proviso to Regulation 166A (1) of SEBI (ICDR) Regulations, the valuation report of Sh Yashlok Dubey, Independent Registered Valuer (Registered Valuer No. IBBI/RV/03/2019/11087) may be viewed by clicking the link https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/7803_2022030818432440818.pdf.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 09 March, 2022

(S Krishnan)
MD & CEO